

श्रीमान जी,

प्रार्थी श्री सुरिन्द्रपाल सिंह पुत्र हरजी राम जाति जाट आयु 58 वर्ष निवासी खाटवां तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री हरजी राम पुत्र लच्छू राम जाति जाट निवासी खाटवा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ने वसीयत दिनांक 11.06.2018 को करवाई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 27.11.2020 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 11.06.2018 को करवायी गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी सुरिन्द्रपाल सिंह द्वारा अपने पिता हरजीराम के द्वारा दि० 011.06.2018 को करवायी बंद वसीयत की मूल रसीद खो जाने बाबत हलफनामा की प्रति पेश की है।

प्रार्थी को गवाहान श्री महावीर सिंह पुत्र नरमा राम एवं अजय कुमार पुत्र संतोष कुमार ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश छाबडा द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/238

20/11/21

K